न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 19/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 21/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 18/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

आयुक्त

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 17/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 23/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 16/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 24/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर

		6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 15/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 25/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 14/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 26/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरखाराम गोदपुत्र स्व0 श्रीमति गवरी बेवा.स्व0 श्री लालूराम जाट डोगियाल, निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप 2. मानाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 3. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम 4. बालाराम पुत्र स्व0 श्री डूंगरराम 5. भागीरथराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 6. चैतनराम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर पौत्र स्व0 रामसुख 7. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हरिराम 8. कुनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 9. भोमाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम 10. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री हरिराम सभी जाति–जाट डोगियाल,

		निवासी ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2019 जो राजस्व अपील सख्या 13/2016 अनवान पुरखाराम बनाम मोहनराम वगैराह में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया।

उपस्थितिः–

1–श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता सभी अपीलों में अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता, सभी अपीलों में रेस्पो0 सं0 1,2,5, 6 की ओर से
3– श्री नवलसिंह दहिया, सभी अपीलों में राज0अधिवक्ता, रेस्पो.सं.11 की ओर से।
4– शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 16 जनवरी, 2023

उपरोक्त 07 राजस्व अपील प्रकरण में अपीलाधीन आदेश की प्रकृति एक समान होने, पक्षकारान समान होने एवं चाहा गया अनुतोष एक समान होने इन सभी अपीलों को संयुक्त रूप से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।

उक्त अपील प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थोब के खेत खसरा संख्या 1500, 1527, 1525, 1508, 1501, 1524/1, 1518, 1524 की कुल रकबा 142 बीघा 11 बिस्वा अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं. 1 से 10 की पीढीयों की पैतृक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पति खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसका सेटलमेंट की खतोनी बंदोबस्त स्व0 शेराराम जी के नाम से कर्ता खानदान होने से उनके नाम से जारी की गयी है। शेराराम जी के चार लड़के जिसमें सबसे बड़ा अपीलार्थी के गोदपिता लालाराम (लालूराम) उनसे छोटा डूंगरराम, रामसुख व सबसे छोटा हरिराम हुए। शेराराम जी का देहांत दिनांक 15.01.1973 को हो गया था, जिनका उक्त भूमि पर बराबर का हक हिस्सा व कब्जा करश्त आज दिन तक चला आ रहा है। जिस पर स्व0 शेराराम जी के चारो लड़को को जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर चले आ रहे है। जिसका विभाजन स्व0 शेरारामजी ने चारों पुत्रों के बीच उनकी सहमति लेकर नहीं किया, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के दादा स्व0 रामसुखजी परिवार में पढे लिखे थे तथा सेटलमेंट में अमीन के पद पर राजकीय सेवा मे थे जिन्होने अपने पिता स्व0 शेरारामजी से बाले बाले विभाजन का दस्तावेज दिनांक 14.09.1967 को लिखवाया जिसमें अधिकांश भूमि रकबा 56 बीघा 4 बिस्वा अपने नाम से विभाजन मे लिखवा दिया तथा शेराराम जी के परपौते प्रत्यर्थी सं0 1 के नाम ख0न0 1527 की 32 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 1514/1 की 20 बीघा 12 बिस्वा मे से आधा हिस्सा दर्ज करवाया तथा प्रत्यर्थी सं0 7 रामनारायण के नाम ख0न0 1524 की 25 बीघा 13 बिस्वा व ख0न0 1500 की 17 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्से को तथा ख0सं0 1508, 1518 कुल रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा में से आधा हिस्सा बंटवाडे में रखा तथा अपीलार्थी के गोद पिता स्व0 लालारामजी के नाम विभाजन मे कोई रकबा नही दिया। जबकि स्व0 शेरारामजी ने अपने पुत्रों को भूमि विभाजन से वंचित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रखकर एक पुत्र के पक्ष में अधिकांश भूमि बंटवाड़े में देकर भूमि का विभाजन नही कर सक़ते थे तथा उक्त विभाजन धारा 53(3) के अनुसार भूमिधारी तहसीलदार ओसिया के लगान के विभाजन की सहमति नही होने से भी उक्त विभाजन दस्तावेज दिनांक 14.09. 1967 गैरकानूनी व शून्य था, जिसके आधार पर नामांतकरण एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नही किया जा सकता थां फिर भी सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त बंटवाडा दस्तावेज दिनांक 14.09.1967 के आधार पर अपीलाधीन नामा0 सं0 212, 213, 214, 215, 216, 217 दिनांक 07.04.1969 को दर्ज किये तथा इसके बाद पश्चातवृति नामांतकरण सं0 455 अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर प्रत्यर्थी भागीरथ के नाम दिनांक 06.07.1975 को दर्ज किया गया।

अपीलार्थी के गोदपिता को उनकी पैतृक भूमि का विभाजन नही दिया तथा भूमि के हक अधिकार से वंचित कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित 07 अपीलाधीन नामांतकरणों के विरूद्व अलग–अलग सात अपीले विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसिया के समक्ष प्रस्तुत की, जिसको विद्वान उपखण्ड अधिकारी बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये केवल तकनीकी आधार पर अपने आदेश दिनांक 05.03.2019 के द्वारा अस्वीकार करने का आदेश दे दिया जिससे व्यथित होकर यह अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील को अस्वीकार करने में भारी विधिक तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रथम अपील को गुणावगुण पर निरस्त करने में भारी भूल की है क्योंकि आलौच्य विभाजन से अपीलार्थी को उनके पैतृक सम्पति के जन्म से प्राप्त हक–अधिकारों से वंचित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामा0 खोला गया होना मानकर अपीलार्थी की प्रथम अपील को निरस्त किया गया है। जबकि उक्त बंटवाडा में हवाला दिये गये पंजीकृत दस्तावेज उक्त समय प्रचलित बंटवाडा प्रावधान धारा 53 (3) राज0 काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन करते हुए निष्पादित किया गया है, वो शून्य है जिस पर भूमिधारी की कोई सहमति नहीं थी जिसके आधार पर नामा0 स्वीकृत किये गये थे वो कानूनन सही नहीं थे और ऐसे नामा0 आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं है उन्हें कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतकरण अपीलार्थी के गोदपिता को सुनवाई व सूचना का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है जो नामांतकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने से उस पर किसी प्रकार की कोई म्याद लागू नही है। अपीलार्थी के गोदपिता एवं अपीलार्थी को उसके पैतृक सम्पति के जन्म से प्राप्त हक अधिकार से अपीलाधीन नामांतकरण के द्वारा वंचित रखते हुए बाले–बाले विभाजन दस्तावेज निष्पादित कर गैरकानूनी रूप से नामांतरकरण दर्ज करवाये गये है तथा भूमि के कब्जे में भी किसी प्रकार का कोई लेनदेन मौके पर आज दिन तक नही हुआ। अपीलार्थी के गोदपिता को व अपीलार्थी को तत्समय इसकी जानकारी नही हुयी तथा जानकारी होते ही प्रथम अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत कर दी गयी थी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 को एवं नामांतकरण संख्या 212, 213, 214, 215, 216, 217 दिनांक 07.04.1969 एवं नामा0

संख्या 455 दिनांक 6.7.1975 ग्राम थोब को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा उसमें वर्णित भूमि स्वर्गीय शेराराम के समस्त वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज किये जाने हेतु मामला सम्बन्धित तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर आरआरडी 1989 पेज 121,आरआरडी 1977 पेज 95, 2016 डीएनजे पेज 994

प्रत्युतर में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई थी। अपीलान्ट के द्वारा वर्ष 1967 में स्वीकृत नामा0 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील लगभग 47 वर्ष पश्चात वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गई है जिसकी नकल दिनांक 25.7.2016 को होना बताया है। अपीलान्ट ने नकल दिनांक से भी 60 दिवस पश्चात अपील पेश की है जो भी म्याद बाहर पेश की गई थी। पूर्व खातेदार शेराराम के जीवनकाल में या उनके पुत्रों द्वारा अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति व अपील पेश नहीं की गई, उनके तीसरी पीढी के व्यक्ति यानि उनके पोत्रों द्वारा अपील पेश की गई है जो कतई चलने योग्य नहीं थी। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपीलों को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि प्रथमतः वो म्याद बाहर पेश की गई थी, द्वितीय उल्लेखित रजिस्टर्ड दस्तावेज अस्तित्व में है जिसके आधार पर नामा0 खोले गये थे, वह निरस्त नहीं किये गये है,वो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर आज दिन तक कोई कब्जा नहीं है और न ही सामलाती काश्त है। दिनांक 13.7.16 को अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन भूमि में काश्त करने की गलत बात दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 25.07.2016 को अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जानकारी होना दर्शाया था जो सरासर गलत व झूठ है। अपीलार्थी को अपने होश हवास सम्भालने से समय से ही उक्त राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण जानकारी रही है क्योंकि अपीलान्ट बी0ए0 एम0ए0 तक पढा लिखा व्यक्ति है। अपीलाधीन नामा0 संयुक्त खातेदारों के बीच बंदवारे के जरिये नहीं भरा गया था बल्कि खातेदार द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमि का बेचान 2000/–रूपये में अपने बेटो–पोतों को उनके हक व हिस्से के अनुसार तत0समय की स्टाम्प डयूटी व पंजीयन शुल्क अदा कराने के उपरांत पंजीयन कराया ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त भूमि शेराराम की स्वअर्जित भूमि थी तथा शेराराम के चारों पुत्र वक्त सेटलमेन्ट से अलग–अलग रहते थे और अलग–अलग पर्चा लगान बने थे और अलग–अलग ढाणिया सेटलमेन्ट से ही कटी हुई थी। ऐसे में उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति के तहत नहीं आती थी। उक्त भूमि का विभाजन तहसीलदार ने स्वीकार किया है तथा उसे बेचान दस्तावेज मानते हुए उसका पंजीयन किया गया है। अपीलार्थी ने खातेदार शेराराम व उनके पुत्रों की भावनाओं को व विक्रय दस्तावेजों को नकारते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जबकि अपीलाधीन नामा0 जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर दायर किये गये थे, को स्वीकार करने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिये आदेश में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई थी वो पूर्ण रूप से विधिवत व नियमानुसार दर्ज किये जाकर स्वीकृत किये गये थे। अपीलार्थी यदि

तथाकथित रजिस्टर्ड बैचान/बंटवाडे से किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने हेतु चाराजोही करनी चाहिये थी, नामा0 प्रक्रिया एक समरी प्रोसिडिग्स है जिससे किसी काश्तकार को खातेदारी हक–अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की द्वितीय अपील को खारिज किया जावें एवं अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील दिनांक 27.06.2016 में मुख्यतः नामान्तरकरण व रजिस्ट्री की नकल प्राप्त होने पर प्रकरण की जानकारी होना प्रतिवेदित किया हैं जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1969 व वर्ष 1975 में पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा क्रमशः 47 व 41 वर्ष की देरी से अपीले प्रस्तुत की है, देरी के लिये उक्तानुसार वर्णित कारण काल्पनिक व "Sufficient Cause" की श्रेणी में नहीं आते है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

ठोस कारण व "Sufficient Cause" के अभाव में अपीले अत्यधिक देरी से पेश किये जाने के साथ–साथ पंजीबद्ध दस्तावेज भी अस्तित्व में होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अपीले अस्वीकार जाती है। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
उदयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त